(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय और विदेशी पर्यटकों को इन पर्यटक-स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिये विमान सेवाओं के किराये में छूट देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स अन्य अनेक रियायतों/छूटों के अलावा, 15 अथवा अधिक यात्रियों के समूह के लिए टूर कंडक्टर की 100% तक की छूट तथा डालर टैरिफ पर विभिन्न छूटें अर्थात् अन्तर्देशीय और भारत-नेपाल सैक्टर पर 25% की युवा छूट, 21 दिन के टूर के लिए 750 अमरीकी डालर तक डिस्कवर इंडिया किराया, उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी स्टेशन समूहों के अन्दर यात्रा हेतु 300 अमेरीकी डालर का इंडिया वंडर किराया तथा सार्क देशों के बीच व्यक्तियों के लिए 20% और समूहों के लिए 30% सैर-सपाटा किराये संबंधी पेशकश कर रही है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Policy regarding FDI inflow

1060. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have framed any policy regarding an annual Foreign Direct Investment (FDI) inflow;

(b) if so, the broad features thereof;

(c) whether the Reserve Bank of India's study is openly sceptical of FDI inflows, talking of the irrelevance of further liberalisation;

(d) whether his Ministry has at any strage considered the results of the impact study of FDI on two major dynamic aspects of development, technological capacity and export promotion; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VERENDRA KUMAR): (a) and (b) The Government's policy towards Foreign Direct Investment (FDI) is to encourage a larger flow of FDI especially in priority sectors such as infrastructure and export potential industries. The Common Minimum Programme has shown a target of an annual inflow of $ 10 billion to be achieved in future.

(c) The RBI's study, while commending the current policy, has observed that liberalisation of foreign investment and technology (foreign collaboration) policies is not the sole determinent of FDI inflows. The broader economic environment in the host country is a supplementary factor.

(d) and (e) The RBI's study mentions that, within the limitations of the sample period, the results of its impact study of FDI indicate that technology transfer is only one element of technological capability building and, by itself, is not adequate to ensure the dynamics of technological progress. Technological capability building in a developing country is a combined process of technology import from external sources, domestic R & D and the relationship between the two. Technology import can stimulate or substitute domestic technology efforts. The study notes that a significant positive impact on export by firms having foreign collaboration is not visible, presumably because of the current attractiveness of the large and growing Indian market.

राज्यों की आर्थिक स्थिति

1061. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तथा वे दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों से 31.12.96 की स्थिति के अनुसार 15040 करोड़ रुपया बकाया के रूप में वसूलना है,

(ख) किस राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार का कितना-कितना रुपया कब-कब से बकाया है तथा इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार इस रुपये की वसूली के लिए क्या कदम उठाने जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) संविधान के अंतर्गत राज्य स्वायत्त है और राज्य का वित्तीय प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है जिसके लिए वह अपनी-अपनी

विधान सभाओं के प्रति अथवा राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में संसद के प्रति जवाबदेह होती हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को संकटपूर्ण नहीं कहा जा सकता और हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी राज्य दिवालियेपन को छूने की स्थिति में नहीं है। दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओर से वित्त मंत्रालय को 139573.01 करोड़ रुपए की देयराशि बकाया थी। तथापि, यह राशि तत्काल पुनर्अदायगी के लिए बकाया नहीं है। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यों द्वारा मूल और ब्याज के रूप में वित्त मंत्रालय को 19737.83 करोड़ रुपये पुनर्भुगतान करना है। राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाया गया है। (**नीचे देखिए**)

(ग) राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान एक सामान्य प्रक्रिया है। ज्यादातर मामलों में राज्य सरकारें स्वयं पुनर्भुगतान कर देती हैं। कुछेक मामलों में ऋण के पुनर्भुगतान को राज्य सरकारों के केन्द्रीय अंतरण/आवंटन के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

विवरण

दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार राज्यवार बकाया राशि तथा 1996-97 के दौरान मूल तथा ब्याज के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को पुनर्अदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपए में)

राज्य		31.12.97 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	1996-97 के दौरान पुनर्अदा की गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	10501.70	1412.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	185.94	30.88
3.	असम	3649.91	548.52
4.	बिहार	9385.04	1316.82
5.	गोवा	800.54	85.67
6.	गुजरात	9433.40	1373.79
7.	हरियाणा	3489.34	597.08
8.	हिमाचल प्रदेश	1635.14	212.62
9.	जम्मू और कश्मीर	2788.51	412.14
10.	कर्नाटक	6560.22	926.53
11.	केरल	4498.51	646.44
12.	मध्य प्रदेश	6232.44	893.94
13.	महाराष्ट्र	15565.23	2132.83
14.	मणिपुर	195.47	27.03
15.	मेघालय	228.97	34.44
16.	मिजोरम	142.05	19.72
17.	नागालैण्ड	241.29	35.67
18.	उड़ीसा	4560.64	640.84
19.	पंजाब	10460.42	1587.28
20.	राजस्थान	6765.46	927.69
21.	सिक्किम	131.03	18.58
22.	तमिलनाडु	8283.94	1165.74
23.	त्रिपुरा	339.97	51.88
24.	उत्तर प्रदेश	20781.56	2920.32
25.	पश्चिम बंगाल	12708.29	1727.97
	कुल	139573.01	19737.03

Letters Received by SBI Central Office Mumbai Regarding State Bank of Indore

1062. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of letters received from the Members of Parliament by State Bank of India, Central Office, Mumbai during November-December, 1995 complaining that higher authorities of State Bank of Indore at Delhi are shielding some guilty employees;

(b) if so, whether an impartial enquiry of these letters has been conducted by the Central Office, Mumbai; and

(c) what directions are likely to be given regarding action against guilty employees and the officers; if not, the reasons for inordinate delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

मूल खाद्य पदार्थों के डब्ल्यूपी॰ आई॰ में अन्तर होने के संबंध में प्रकाशित समाचार

1063. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: